

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 22.06.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 277/24 धारा 380/411 भा0द0वि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.अजय राजपूत पुत्र गेंदेलाल नि0 हैतेई थाना घाटमपुर कानपुर नगर 2. अभय शर्मा पुत्र अशोक शर्मा नि0 शरियापुर थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 239/23 धारा 376/120बी भादवि0 व 5/6/17 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.मृत्युंजय कुमार उम्र 14 वर्ष पुत्र जितेन्द्र कुमार नि0 हिसाबा थाना मंगलपुर का0दे0 (बालअपचारी) 2. लक्ष्मीदेवी पत्नी जितेन्द्र कुमार नि0 हिसाबा थाना मंगलपुर का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बरौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 41/24 व 42/24 धारा 380/411 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.विजय कुमार उर्फ राजू पुत्र स्व0सन्तोष सविता उम्र 30 वर्ष निवासी हांसेमऊ थाना भोगनीपुर का0दे0 2. दीपक पुत्र जयहरिलाल उर्फ जौहरी नि0 गुड़गाव थाना भोगनीपुर का0दे0 को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना बरौर पुलिस द्वारा अभियुक्त विजय कुमार उर्फ राजू पुत्र स्व0सन्तोष सविता उम्र 30 वर्ष निवासी हांसेमऊ थाना भोगनीपुर का0दे0 के कब्जे से 01अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 42/24 धारा 3/25 Arms act पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1. बलवंत सिंह पुत्र स्व0 भरत सिंह (गिर0) 2.ऋषि पुत्र बलवंत सिंह 3.रामू सिंह पुत्र छोटे 4. मनीषा देवी पत्नी बलवंत सिंह नि0गण ग्राम मुडेंरा किन्नर सिंह थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात के वादिनी के घर से निकलने का आम रास्ता है जिस पर अभियुक्तगण निकलने को लेकर मना करते है दिनांक 20.06.24 की शाम रास्ते से निकलने को लेकर अभियुक्तगण एक राय होकर ईट लेकर आ गये और वादिनी के ऊपर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया व मना करने पर उनकी माता जी व बहनों के साथ भी मारपीट कर दी व

गाँव के लोगों द्वारा बचाने पर अन्य लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग जाने के सम्बन्ध में के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 162/24 धारा 34/307/323/506 भादावि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद मे शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 45 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना डेरापुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों, थाना सट्टी पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना शिवली पुलिस द्वारा 08 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना रनियां पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मंगलपुर पुलिस द्वारा 16 व्यक्तियों, थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 04 व्यक्तियों तथा भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति का धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत चालान किया।